

FORM No. III

फॉर्म अहकाम  
(विधम 20)

पालक सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट खण्डेला

तारीख: 27/09/2019 वनाम: अतिवसी, तहसील, जिला, खण्डेला

सूचना संख्या: 108/2019 मुकदमा नं. 1785/2019 2019

सूचना	सूचना या कार्यवाही भय लघुहस्ताक्षर जज	संख्या व तारीख अहकाम जो इस सूचना की तालीम में जारी हुए
25/9	<p>वकील नदीगण जी अजनाहम ने हाजिर आया होकर वादपत्र पेश किया। दावा दर्ज किया जाये। अतिवसी जी तहसील जीले सम्मल की जाकर पत्रावली दिनांक 30/09/19 को पेश हो।</p>	<p>1785 2019</p>
26/9	<p>वकील नदीगण ज.। अतिवसी सं.। की तारीख सम्मल उप रहे होकर लोटी है। अजनाहम सम्मल तहसील उक्त अतिवसी की ओर से कोई हाजिर अदालत नहीं आया है। अतः अतिवसी सं.। के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही सम्मल में लार्ड जाती है। वकील नदीगण ने मुताबिक अनुमोष दस्ता डिक्ली किया जाने का निर्देश किया। वास्ते आदेशार्थ पत्रावली दिनांक 07/10/19 को पेश हो।</p>	
27/10	<p>पत्रावली वास्ते आदेशार्थ आज पेश हुई। वकील नदीगण ज.। वकील नदीगण जी प्रकरण में एक पक्षीय बहस शुरू में सुनी जा चुकी है। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध पजस रिकॉर्ड का अमलीकन किया गया जिससे वादीगण का वाद स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाये पर न्यायहित में स्वीकार किया जाता</p>	

हैं तथा प्रकरण में घोषणा इस आशय की  
जाती ली जाती है कि :-

### निर्णय

तब ग्राम ज्योतिबागार पंच. चौकड़ी तहसील ज्योतिबागार  
पिला सीकर मनास्वित कृषि भूमि ख. नं. 341, 348,  
355, 364, 368 एका 0.83 हे. में वादी नं. 1 का  
गलत नाम "कदरी पुत्र गधू" के स्वतंत्र पर सही नाम  
"कदरी पुत्र गधू" वादी नं. 3 का गलत दर्ज नाम  
"लक्ष्मण पुत्र गधू" के स्वतंत्र पर सही नाम "लक्ष्मीनाथ  
पुत्र गधू" दुरुस्त किया जाता है। कृषि भूमि ख. नं. 334  
एका 0.45 हे. में वादी सं. 3 का गलत दर्ज नाम "लक्ष्मण  
पुत्र गधू" के स्वतंत्र पर सही नाम "लक्ष्मीनाथपुत्र  
गधू" दुरुस्त किया जाता है। कृषि भूमि ख. नं. 328  
ता 331 एका 0.29 हे. में वादी सं. 3 का गलत दर्ज  
नाम "लिख्मण पुत्र गधू" के स्वतंत्र पर सही नाम  
"लक्ष्मीनाथपुत्र गधू" व वादीगण सं. 4 ता 8 के  
स्वतंत्र ~~पिता~~ <sup>पिता</sup> पिता/दादा की गलत दर्ज वालियत "   
नाथपुत्र गधू" के स्वतंत्र पर सही वालियत  
" नाथपुत्र गधू" दुरुस्त की जाती है। कृषि भूमि  
ख. नं. 494, 496 एका 0.37 हे. में वादी सं. 3 का  
गलत दर्ज नाम "लिख्मण पुत्र गधू" के स्वतंत्र पर  
सही नाम "लक्ष्मीनाथपुत्र गधू" दुरुस्त किया जाता  
है। कृषि भूमि ख. नं. 231 ता 234, 236, 238, 239, 241,  
242, 245, 40, 53 ता 59, 66, 69 ता 71, 73, 81, 84,  
86, 88, 93, 94, 96, 97 एका 5.38 हे. में वादीगण  
सं. 1 ता 3, 6 व 9 ता 15 के बुर्जगत के गलत दर्ज  
नाम व गलत दर्ज वालियत " नानगा, कदरी,

भगवाना, हणमान, लक्ष्मीनारायण पुत्रगण पदमा, मेहेर  
पुत्र नारायण " के स्वान पर सही नाम व सही  
वलिमत " नानगाम, बड़ी, भगवाना, हणमान,  
लक्ष्मीनारायण पुत्रगण गधु, मेहेर पुत्र नारायण "  
दुलस्त किया जाता है। कृषि भूमि ख.नं. 323 ता  
327, 340 ता 343, 349, 350, 352, 353, 372,  
376, 377 टक्का 2.44 है. में वादीगण सं. 1 ता 3  
के गलत दर्ज नाम व वलिमत " बदरी, लिख्मण,  
हणमान पुत्रगण गौदिया " के स्वान पर सही नाम  
व सही वलिमत " बदरी, लक्ष्मीनारायण, हणमान पुत्रगण  
गधु " व वादीगण सं. 9 ता 12 के पिता की गलत  
दर्ज वलिमत " भगवाना पुत्र मांगर " के स्वान पर  
सही वलिमत " भगवाना पुत्र गधु " दुलस्त किया  
जाता है। कृषि भूमि ख.नं. 423 ता 427, 431 ता  
434, 437, 438, 444, 445, 450, 451, 459, 460,  
464, 468, 469, 475, 476, 479, 481, 482, 492,  
493, 498 ता 501, 506, 509 ता 511, 513 टक्का  
4.14 है. में वादी सं. 1, 3 व 6 के गलत दर्ज नाम  
" बदरी, लिख्मण पुत्रगण गधु, मेहेर पुत्र नारायण "  
के स्वान पर सही नाम " बदरी, लक्ष्मीनारायण पुत्रगण  
गधु, मेहेर पुत्र नारायण " दुलस्त किया जाता है।  
कृषि भूमि ख.नं. 457, 458, 465, 470 ता 474,  
484, 485 टक्का 0.86 है. में वादी सं. 1, 3 व 6  
के गलत दर्ज नाम " बदरी, लिख्मण पुत्रगण गधु "  
मेहेर पुत्र नारायण " के स्वान पर सही नाम  
" बदरी, लक्ष्मीनारायण पुत्रगण गधु " मेहेर पुत्र  
नारायण " दुलस्त किया जाता है तथा कृषि भूमि  
ख.नं. 336, 345, 357, 358, 366, 370 टक्का  
1.10 है. में वादी सं. 3 का गलत दर्ज नाम " लिख्मण

# डिक्री मुकद्दमा इस्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक मुकाम खण्डेला  
 न इजलास श्री राजीत सिंह, RAS  
 नुमांदा श्री वद्री बनाम श्री भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला  
 दावा बाबत घोषणा

मुकद्दमा नं. 135 रान 2019

यह मुकद्दमा आज वारते इनफिसाल कतई रुबरु श्री राजीत सिंह, RAS

हाजिरी श्री मजनाताम मिनजानिब मुद्दई रुबरु -

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

न ग्राम ज्योत्सिनागर प.ह. चौकडी तहसील खण्डेला जिला सीकर उच्चस्थित कृषि  
 मि अंत. 347, 348, 355, 364, 368 (कम्पा) 0.83 हे. में बवादी सं. का गलत  
 नाम "बद्री पुत्र गधु" के स्थान पर सही नाम "बद्री फा गधु" बवादी सं.  
 का गलत दर्ज नाम "लक्ष्मी फा गधु" के स्थान पर सही नाम "लक्ष्मीनारायण" \*

मुबलिग X बाबत X  
 इस मुकद्दमे के मय सूद गशरह X फीसदी महानामा आज की तारीख से  
 ख अदायगी तक X का अदा करे।

गसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07 माह 10 रान 2019 को

की गई।

दस्तखत [Signature]

ओहदा सहायक कलक्टर


(फास्ट ट्रेक)

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
गम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
गम्प तकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
गम्प बजह समूत			महन्ताना वकील		
इन्वाना वकील			खर्चा गवाहान		
बा गवाहान			फीस कमिश्नर		
रास कमिश्नर			बाबत इजारा हुक्मनामा		
बत इजारा हुक्मनामा			मुत्तफरिक		
तफरिक					
मीजान			मीजान		

- ② हणमान ③ लक्ष्मीनारायण पुत्रगण गधु पौत्रगण मांगूर  
 ④ ताराचन्द ⑤ पूणा ⑥ महेश पुत्रगण नारायण पौत्रगण मांगूर  
 ⑦ अमरचन्द ⑧ अरौल पुत्रगण वंशी पौत्रगण नारायण  
 ⑨ दाजूराम ⑩ ज्यासीलाल ⑪ बलेश्वर ⑫ किरौर पुत्रगण भागवान  
 पौत्रगण गधु ⑬ राजेंद्र ⑭ सुनिल ⑮ मुकेश पुत्रगण नानगाव  
 पौत्रगण गधु समस्त जाति माली निवासी ज्योतिबाजार (चोंकरी,  
 तहसील सूरेंद्र जिला सीकर राज.)

— वादीगण —

\* पुत्र गधु " दुरुस्त किया जाता है। कृषि भूमि ख० नं० 334 एका  
 0.45 हे० में वादी सं० 3 का गलत दर्ज नाम " लक्ष्मण पुत्र गधु "  
 के स्थान पर सही नाम " लक्ष्मीनारायण पुत्र गधु " दुरुस्त किया  
 जाता है। कृषि भूमि ख० नं० 328 ता 331 एका 0.29 हे० में  
 वादी सं० 3 का गलत दर्ज नाम " लिखमण पुत्र गधु " के स्थान  
 पर सही नाम " लक्ष्मीनारायण पुत्र गधु " के स्थान पर सही व  
 वादीगण सं० 4 ता 8 के स्थान पर गलत पिता / दादा की गलत  
 दर्ज बलियत " नारायण पुत्र गधु " के स्थान पर सही बलियत  
 " नारायण पुत्र मांगूर " दुरुस्त की जाती है। कृषि भूमि ख० नं०  
 494, 496 एका 0.37 हे० में वादी सं० 3 का गलत दर्ज नाम  
 " लिखमण पुत्र गधु " के स्थान पर सही नाम " लक्ष्मीनारायण  
 पुत्र गधु " दुरुस्त किया जाता है। कृषि भूमि ख० नं० 231  
 ता 234, 236, 238, 239, 241, 242, 245, 40, 55 ता 59, 66,  
 69 ता 71, 73, 81, 84, 86, 88, 93, 94, 96, 97 एका 5.38  
 हे० में वादीगण सं० 1 ता 3, 6 व 9 ता 15 के बुजगानि के गलत  
 दर्ज नाम व गलत दर्ज बलियत " नानगा, वादी, भागवान,  
 हणमान, लक्ष्मीनारायण पुत्रगण पदमा, महेश पुत्र नारायण "  
 के स्थान पर सही नाम व सही बलियत " नानगाव, वादी,

 — लगायत —

